न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद संख्या 04/2013

सरकार जरिये पटवारी चांवडिया तहसील मसूदा जिला अजमेर।

बनाम

1. श्री कन्हैया लाल पुत्र मांगीलाल
2. रामलाल पुत्र छगना गुर्जर
3. दयाल पुत्र सुखदेव गुर्जर
4. रामदेव पुत्र सवाई गुर्जर
5. मदन लाल पुत्र मांगीलाल सेन
6. रामेश्वर पुत्र नाथू सेन
7. भोलूराम पुत्र उदा गुर्जर
   समस्त निवासी चावडिया
8. शिवराज पुत्र नामालुम गुर्जर
   निवासी कावरी चाट (न्यारा)

आदेश

अप्रार्थीगण कन्हैयालाल वगैरह उपस्थिता पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सतावाडिया श्री मांगीलाल उपस्थित अप्रार्थी कन्हैयालाल वगैरह के विरूद्व प्रकरण में कार्यवाही दिनांक 2.11.2016 को ड्रोप की जा चुकी है। अप्रार्थी श्रीमांगीलाल द्वारा ग्राम पंचायत सतावडिया का सरंपच रहते अप्रार्थीगण कन्हैयालाल वगैरह से रु 3100/– अर्थ दण्ड वसूल किया जा चुका है। अपेक्षित लकडिया मांगीलाल की सुपुर्दगी में दी गई थी और उसके सुपुदर्गी में रही लेकिन उसकी लापरवाही से ये लकडिया खुर्द बुर्द है अथवा मांगीलाल द्वारा जानबूझकर सरपंच होने का नाजायज फायदा उठाते हुए खुर्द बुर्द करवा दी गई। इन लकडियों को सुरक्षित संभलाने का दायित्व भी मांगीलाल का था श्री मांगीलाल ग्राम का प्रथम नागरिक था और इसी हैसियत से उसने अर्थदण्ड वसूल किया था उसे समय समय पर इन लकडियों की जानकारी देते रहना चाहिये था लेकिन उसने जानबूझकर लकडियों की खुर्दबुर्द एंव गायब करवाया है अतः वह उसकी अदायगी का अधिकारी है।

अतः मांगीलाल वल्द उदयराम जाति जांगिड निवासी ग्राम सतावडिया को दिनांक 21.02.2013 को 1700 अक्षरे सतरह सौ वृक्ष जड सहित मौके पर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष तहसीलदार मसूदा द्वारा सुपुर्द किये गये थे जिन्हे श्रीमांगीलाल ने खुर्द बुर्द कर दिया और उसके द्वारा वापस सरकारी तहसील में नही संभलाया गया है अतः प्रति पेड रु 10/– की दर से श्रीमांगीलाल पर कुल राशि रु 17000/– अक्षरे रुपये सतरह हजार अर्थ दण्ड कायम किया जाता है और अपचारी मांगीलाल को निर्देशित किया जाता है यथा शिघ्र राशि जरिये चालान खजाने सरकार जमा करावे।

आदेश की प्रति तहसीलदार मसूदा एवं तहसील लेखाकार मसूदा को भिजवाई जाकर वसूली हेतु डिमांड कायम करवाई जावे तथा पटवारी हल्का को प्रति दी जावे।

आदेश आज दिनांक 21.06.2017 को न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प मसूदा पर सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एंव
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 14:45:20 IST
Reason: SelfAttested